न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति शिल्पा सिंह आर.आई.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
41/2021/वाद पत्र	12.07.2021	17.08.2021

उनवान

1. रामनिवास पिता रामस्वरूप सेन निवासी शाहपुरा हाल ग्वालियर (म.प्र.)
2. मु. बसन्ता बेवा हरिप्रकाश सेन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
3. विनोद पिता हरिप्रकाश सेन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4. मु. स्नेहलता पुत्री हरिप्रकाश सेन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5. मु. अनुराधा पुत्री हरिप्रकाश सेन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

–वादीगण

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता रामप्रसाद जी सेन उम्र 56 वर्ष निवासी शाहपुरा हाल भैरूनाथ वस्त्र भण्डार, सदर बाजार, कादेड़ा जिला अजमेर
2. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत खातेदारी घोषणा

उपस्थितः–1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा :– अभिभाषक – वादीगण
2 श्री पेरोकार सरकार

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र खातेदारी घोषणा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – यह है कि वादीगण आपस में नजदीकी रिश्तेदार होकर एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

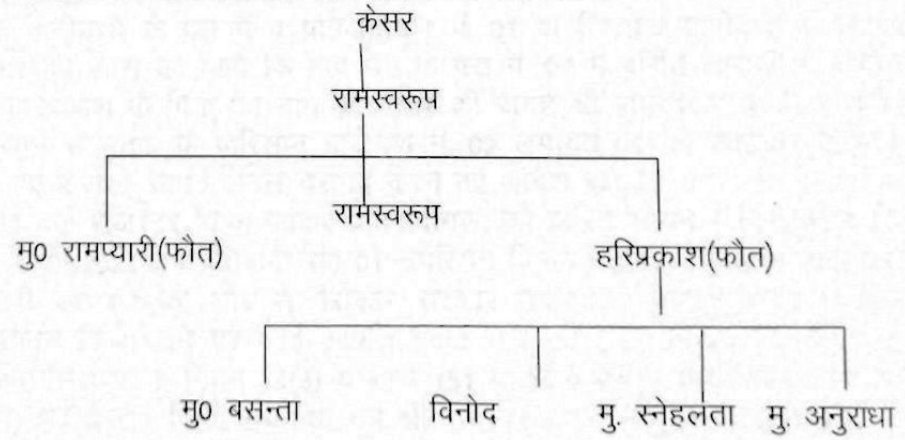

श्री केसर जिनकी मृत्यु हो चुकी है मृतक श्री केसर के कोई नर संतान नहीं थी। इस कारण श्री केसर व उनकी पत्नी ने अपने जीवनकाल में जाति समाज के रीति रिवाजानुसार श्री रामस्वरूप को उनके माता पिता द्वारा श्री केसर व उनकी पत्नी के गोद में बिठाकर गोद लिया। तब से ही श्री रामस्वरूप श्री केसर के पुत्र होकर श्री केसर व उनकी पत्नी की उनके जीवनकाल तक पुत्र की हैसियत से सेवा सुश्रुषा की। श्री रामस्वरूप की मृत्यु दिनांक 23.08.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

1990 को हुई। मृतक श्री रामस्वरूप के वारिसान् उनकी बेवा मु. रामप्यारी व वादीगण नं. 01 व हरिप्रकाश हुए। जिसमें बेवा मु. रामप्यारी व श्री हरिप्रकाश की मृत्यु दिनांक 25.05.2021 को हो चुकी है। मृतक श्री हरिप्रकाश के वारिसान् वादीगण नं. 02 लगायत 05 बेवा, पुत्र व पुत्रियां है। रामस्वरूप पिता केसर जी नाई ने अपने जीवनकाल में ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा में आराजी नं. 404 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण श्री रामस्वरूप के पक्ष में तय कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण का इन्द्राज जमाबंदी में हो चुका था। सेटलमेंट के बाद आराजी नं. 404 के नये नम्बर 875 रकबा 0.83 है. बनें। श्री रामस्वरूप की मृत्यु 23.08.1990 को हो जाने के कारण विरासत के आधार पर भूप्रबन्ध के दौरान इन्तकाल नं. 54 तारीख 14.05.1993 को दौराने भूप्रबंध प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मजमा आम में खोला गया। अभियान में अधिक संख्या में आदमी होने के कारण भूप्रबंध के कर्मचारियों द्वारा बिना पुख्ता जानकारी किये मृतक श्री रामस्वरूप के वारिसान् वादीगण नं. 01 व वादीगण नं. 02 लगायत 05 के पति व पिता श्री हरिप्रकाश के पिता का नाम श्री रामस्वरूप लिखा जाना चाहिये था, पर हल्का पटवारी द्वारा सहवन से नामान्तकरण में वादीगण नं. 01 व श्री हरिप्रकाश के पिता का नाम श्री केसर लिख दिया गया। जबकि श्री केसर वादीगण नं. 01 व मृतक श्री हरिप्रकाश के पिता नहीं होकर पितामह थे। जबकि पिता का नाम लिखा जाना चाहिये। गलत नामान्तकरण खोले जाने के कारण व जमाबंदी को इन्टरनेट के माध्यम से तारीख 15.04.2021 को देखने पर उक्त गलती की जानकारी हुई। इस कारण वादीगणों की ओर से खातेदारी घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री हरिप्रकाश अपने जीवन अंतिम दिनों में बीमार रहने के कारण उनकी देखरेख करने समयाभाव कारण वादीगणों की ओर से वाद पत्र समय पेश नहीं किया जा सका। जमाबंदी में वादीगण नं. 01 श्री हरिप्रकाश पिता के नाम पितामह का नाम हल्का पटवारी गलती लिखे जाने के कारण वादीगणों को मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हो सकी व पैरा नं. 02 में वर्णित आराजी पर केसीसी प्राप्त नहीं कर सक रहे है। वादीगण राज्य सरकार के द्वारा दिये जाने वाले लाभ से वंचित रहने के कारण वादीगणों को खातेदारी घोषणा वाद पत्र करने की आवश्यकता हुई। मृतक हरिप्रकाश के पिता का जमाबंदी में श्री केसर लिखा हुआ है, की जगह रामस्वरूप दर्ज कराये जाने हेतु व हरिप्रकाश की मृत्यु हो जाने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके उत्तराधिकारी वादीगण नं0 02 लगायत 05 होने से मृतक श्री हरिप्रकाश की जगह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने यह वाद प्रस्तुत किया रहा है। प्रतिवादीगण 01 द्वारा राजस्व रेकार्ड संशोधन वादीगणों द्वारा कराये का बिना किसी आधार के विरोध किये जाने के कारण पक्षकार बनाया गया अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगणों के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 01 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि बाद पत्र के पैरा नं. 02 में वर्णित आराजी में वादीगण नं. 01 व श्री हरिप्रकाश के पिता का नाम श्री केसर की जगह श्री रामस्वरूप व श्री हरिप्रकाश की मृत्यु हो जाने से मृतक के वारिसान् वादीगण नं. 02 लगायत 05 को खातेदार काश्तकार घोषित कराते हुए राजस्व रेकार्ड अमल दरामद करने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.08.2021 को प्रतिवादी सं0 01 उपस्थित जिन्होनें इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित जिन्होनें केसर के बजाय रामस्वरूप संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 14(3) व धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगणों द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था तब श्री रामस्वरूप की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं0 54 खुला उसकी नकल, उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज जिस जमाबंदी में हुआ व मिलान क्षेत्रफल की नकल पेश नहीं किये जा सके। उक्त वर्णित दस्तावेज वाद पत्र में वर्णित आराजियात से संबंधित है जिनके फर्जी व बनावटी होने को कोई अंदेशा नहीं है जिनको रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान करावें। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। अभिभाषक

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करनी चाही। जिससे बहस अभिभाषक वादीगण की सुनी गयी। अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है। एवं पेरोकार सरकार द्वारा भी वाद पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वादीगण 02 लगायत 05 को वाद पत्र में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा प0म0 कादीसहना तहसील शाहपुरा संवत् 2074 से 77 खाता सं0 201में वर्णित रामनिवास, हरिप्रकाश पुत्र केसर के स्थान पर रामनिवास, हरिप्रकाश पुत्र रामस्वरूप संशोधन किया जावे।

मैने बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड को देखा। जिसमें मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 404 रकबा 3 बीघा 6 बीस्वा के नये आराजी नम्बर 875 रकबा 0.83 है0 बने है जिससे रेकार्ड की पुष्टि होती है। प्रस्तुत इन्तकाल की प्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिसके रामस्वरूप की मृत्यु के पश्चात विरासात का नामान्तकरण सं0 54 खोला गया जो 15.05.1993 को स्वीकृत हुआ जिसमें रामस्वरूप पिता केसर नाई सा0 खातेदार शाहपुरा के बजाय रामनिवास, हरिप्रकाश पिता केसर नाई सा0 शाहपुरा खातेदार अंकन किया गया है जिसका जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 में भी अंकन हुआ है। इस प्रकार रामनिवास, हरिप्रकाश के पिता का नाम रामस्वरूप के बजाय केसर दर्ज हुआ जो गलत है। अतः राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

—:: आदेश ::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि बाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं0 201 में वादीगण रामनिवास, हरिप्रकाश के पिता का नाम केशर की जगह रामस्वरूप अंकित किया जावे। एवं हरिप्रकाश की मृत्यु होने से उनके स्थान पर उनके वारीसान वादीगण सं0 2 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.